

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :- एफ12(310)सर्वे/संगुवसं/2021-22/4219
निमित्त :-

दिनांक :- 27/05/22

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.1657 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum Corp. Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, At Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

प्रसंग :- राज्य सरकार, वन विभाग का पत्रांक प.1(89)वन/2021 दिनांक 14.12.2021 के क्रम में।

(Proposal No. : FP/RJ/ROAD/119192/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्र दिनांक 14.12.2021 को जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना उप वन संरक्षक, बीकानेर के पत्रांक 2512 दिनांक 24.05.2022 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री-गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षमिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री-गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षमिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट (मूल प्रति) संलग्न है।

10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि राशि 1,00,800/- (एक लाख आठ सौ रुपये मात्र) UTR No. SBIN222122407244 कैम्पा निधी में दिनांक 02.05.2022 से कैम्पा राजस्थान में जमा करवाये गये, अतः वृक्षारोपण कार्य विभाग द्वारा करवाया जाना है। (चालान की प्रति संलग्न)
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 72,577/- (बहतर हजार पांच सौ सत्तर रुपये) दिनांक 02.05.2022 से UTR No. SBIN222122407244 द्वारा कैम्पा राजस्थान में जमा करवाये गये। (चालान की प्रति संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न :- अनुपालना रिपोर्ट दो प्रतियां - एक मूल एवं एक अतिरिक्त प्रति।
(कुल किता - 50 पृष्ठ एवं 4 अखबार प्रति)

भवदीय,



(जय प्रकाश)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

दिनांक:-

क्रमांक:-सम संख्यक/

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर

ईमेल - dfobkn@gmail.com & dcfbknr.forest@rajasthan.gov.in
पब्लिक पार्क, बीकानेर फोन - 0151-2544951

क्रमांक - एफ()सर्व/उपस-बी/2022-23/ 2512

दिनांक - 24/5/22

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय - Diversion of 0.1657 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum Corp. Ltd. for Construction of approach road for proposed Hindustan petroleum Corporation Ltd. retail outlet on Bikaner to Phalodi Road (NH-11) Between KM Stone No. 362-363 (Chaining, 362/497-362/532) LHS in Khasra No. 445/61, At Village- Diyatra Tehsil- Kolayat, District-Bikaner, Rajasthan. PROPOSAL NO. (FP/RJ/ROAD/119192/2021)

संदर्भ - शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(89)वन/2021 जयपुर दिनांक 14.12.2021 एवं आपका पत्रांक 524 दिनांक 21.01.2022

संदर्भ

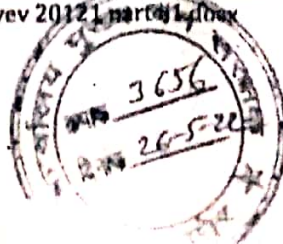
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1(89)वन/2021 जयपुर दिनांक 14.12.2021 (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/119192/2021) द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन भूमि 0.1657 हेक्टर हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना में यूजर एजेंसी ने सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना निम्नानुसार कर दी है जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है:-

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर 7.5 मीटर लम्बाई तथा दोनों भागों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर 7.5 मीटर लम्बाई तथा दोनों भागों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफआर. ए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफआर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपी संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

D:\2-1-2018\drive\Mv Doc\Survey\Survey 20121

Page 928



	का पतन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पतन होने पर पतन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पतन होने पर पतन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि 100,000/- रुपये UTR No SBIN222122407244 द्वारा जमा करवा दी गई है। धनराशि के चालान की छायाप्रति संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटेशन (सिविल) 202/1998 के अन्तर्गत आईए संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एकरी दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण विधि प्रबंधन तथा योजना प्रकीकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) पेशित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटेशन (सिविल) 202/1998 के अन्तर्गत आईए संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एकरी दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि 72577/- रुपये UTR No SBIN222122407244 द्वारा जमा करवा दी गई है। धनराशि के चालान की छायाप्रति संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक/समसंख्यक/

प्रतिनिधि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :-

मिहदीय
(रंगास्वामी ई. IFS)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

(रंगास्वामी ई. IFS)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

PROFORMA

Project Name :

F P / R J / ROAD / 113132 / 2021 (0.1657 Ha)

1	Name of Regional Office	:	211211 सचिव रायबरेली - सचिव 94 - बिहार जयपुर
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal related	:	रायबरेली - जिला वीकानेर कार्पोरेशन 34.91 संरक्षण वीकानेर
3	Name of User Agency, nature of proposal	:	हिन्दुस्तान पत्रिका कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर
4	Extend of forest areal involved	:	0.1657 Ha
5	Whether original, or extension	:	ORIGINAL
6	If extension fo lease, please clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	:	- NA -
7	Date of 1 st stage clearance	:	जयपुर दिनांक 14-12-2021
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz	:	-
	(a) Compensatory afforestation	:	-
	(b) Additional CA	:	-
	(c) Penal CA	:	-
	(d) Catchment Area Treatment	:	-
	(e) Wildlife Management Plan	:	-
	(f) Additional charges of diversion of area falling under notified protected areas	:	-
	(g) Net Present Value	:	72577 / 442
	(h) Any other charges/Levies (PI specify)	:	100800 / 442
9	Details Of Bank Draft (Bank, Draft No, Date & Amount), head wise against items indicated in paragraph 9 above	:	NEFT
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	:	मिशन-70 6119192971 / 29-4-2022 UTR NO - SBIN 222122407244 दिनांक: - 2-5-2022
11	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/ Union Bank of India, Sundar Nagar) in which deposited, with date of deposition	:	यूनिभैंक ऑफ इंडिया लोधी कॉम्प्लेक्स सुन्दर नगर दिल्ली
12	Any other remarks	:	

(रंगास्वामी ई, IFS)

Signature of BCF/DFO
वीकानेर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
बीकानेर,
राजस्थान।

विषय :- अनुपालना रिपोर्ट Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021, आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ () सर्वे/DCF-B/2021-22/1217 दिनांक 03.03.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपी संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,00,800/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 02.05.2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 72,577/- रुपये दिनांक 02.05.2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail

	जावेगा।	
13.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय
Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

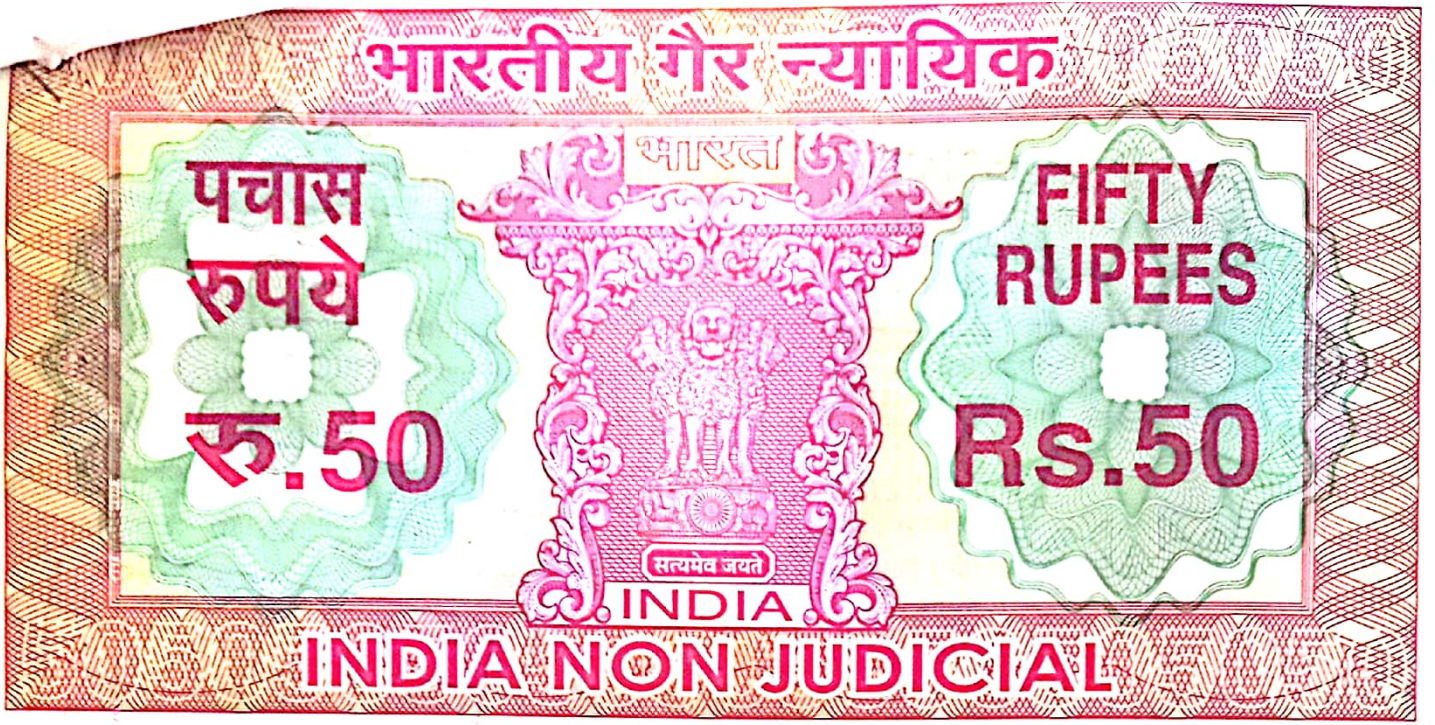
Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005



राजस्थान RAJASTHAN

BF 591479



शपथ-पत्र

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

मनके प्रवीण कुमार शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर हिन्दुस्तान प्रेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अँटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail

Scanned with

24-5689 v

राजस्थान राज्य नदी निदेश, 1998 के अन्तर्गत
राजस्थान राज्य नदी निदेश, 1998 के अन्तर्गत
1. राज्य नदी निदेश, 1998 के अन्तर्गत
2. राज्य नदी निदेश, 1998 के अन्तर्गत

1998

5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
13. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Retail Regional Office,
Jodhpur - 342005

दिनांक : 10.05.2022

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager, Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar

Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager (Retail)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

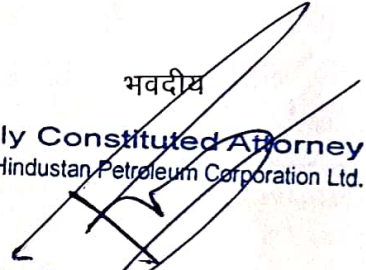
Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय
Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)
Senior Regional Manager (Retail)
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Retail Regional Office,
Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar

Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,
Jodhpur - 342005

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bikaner

No. F.8-1() Revenue/Forest/Diverslon/14/1962

Dated- 30-03-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1657 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) RHS in Khasra No. 445/61, At Village-Diyatra, Tehsil Kolayat District-Bikaner (Rajasthan) falls within jurisdiction of Bikaner.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1657 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above

(Bhagwati Prasad)
District Collector, Bikaner

No. F.8-1() Revenue/Forest/Diverslon/14/
Copy forwarded to :

1. DFO (Territorial), Bikaner
2. DFO (Stage-II), Bikaner

Dated-

Add. District Collector
(Adm.), Bikaner

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1()राजस्व/वन/प्रत्या./14/

दिनांक : 22.3.22

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक: प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008 (1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 25.02.2022 को सायं 5:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. नित्या के., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर | सदस्य |
| 2. श्री बी.आर. धोजक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर | प्र0अधिकारी
राजस्व शाखा |
| 3. श्री नरेन्द्र चौधरी, सहायक वन संरक्षक, बीकानेर | सदस्य |
| 4. श्रीमती हेमा, जिला परिषद सदस्य | सदस्य |

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखे गये :-

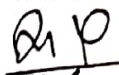
1. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड निर्माण बीकानेर-लूनकरनसर रोड एन.एच.-62(पुरानी एन.एच.-15) आरएचएस, मुरब्बा नम्बर 31/47 चैनेज 75/702 से 75-742, ग्राम 277-600 आरडी तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर रकबा 0.2582 है.
2. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते-इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आऊटलेट एप्रोच रोड निर्माण बीकानेर-श्रीगंगानगर रोड एन.एच.-62 किमी स्टोन नं. 87-88 (चैनेज: 87+201 to 87+241) एलएचएस मुरब्बा नम्बर 86/30 किला नं0 22/1, 23/1, 21/1 (पुराना 22/1) ग्राम 3 बीएचडी तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर रकबा 0.2034 है.
3. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आऊटलेट बीकानेर-फलोदी रोड एनएच-11 किमी स्टोन नं0 362-363 (चैनेज 362/497 से 362/532) आरएचएस खसरा नम्बर 445/61 ग्राम दियातरा तहसील कोलायत रकबा 0.1657 हैक्टेयर
4. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड निर्माण बीकानेर-बीकानेर रोड (एन.एच.-11) खसरा नम्बर 211/203 ग्राम चक गुजरसिंहवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर रकबा 0.1584 है.
5. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड रिटेल आऊटलेट निर्माण जैसलमेर-बीकानेर रोड एन.एच.-11 किमी स्टोन नं. 385-386 (चैनेज 385+688 से 385+733) एल.एच.एस. खसरा नम्बर 605/497, 607/503 ग्राम इन्दो का बाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर रकबा 0.1578 हैक्टेयर
6. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड निर्माण श्रीगंगानगर रोड एन.एच.-15 (नई एन.एच.-62, आरएचएस), बीकानेर (रोडवेज बस स्टेण्ड और कानासर बाईपास के बीच) तहसील व जिला बीकानेर रकबा 0.0457 हैक्टेयर

7. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते-इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आऊटलेट एप्रोच रोड निर्माण बीकानेर-श्रीगंगानगर रोड एन.एच.-62 किमी स्टोन नं. 112-113 (वैनेज: 112+437 to 112+472) आरएचएस नये खसरा नम्बर 281/3 (पुराने 266, 280, 281) ग्राम महाजन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर रकबा 0.1421 हैक्टेयर

उक्त प्रकरणों का उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली उपर्युक्त प्रकरणों की भूमि पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

अतः उक्त प्रकरण में अनुसूचित जन जाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंका की जाती है।


16.3.22
(बी.आर.धोजक)

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)

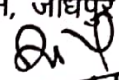
एवं अति० जिला कलक्टर

६ (प्रशासन), बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1()राजस्व/वन/प्रत्या./14/1777-82

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर ।
2. उप वन संरक्षक, बीकानेर ।
3. सिनियर सैल्स मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि, रिटेल बीकानेर रीजन, भगत की कोठी, जोधपुर
4. सिनियर मैनेजर, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि, रिटेल सेल्स, जोधपुर
5. डिप्टी जनरल मैनेजर, रिटेल, हिन्दुस्तान. पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., जोधपुर
6. टेरेटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., ग्राम सालावास, जोधपुर


16.3.22
प्रभारी अधिकारी (राजस्व)

एवं अति० जिला कलक्टर

६ (प्रशासन), बीकानेर





राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

दुरभाष - 01534-236082

ई-मेल : sdm.kolayat@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- राजस्थ/2021/

दिनांक :- 29/2/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8वीं/राज/08/19/2015/एफ.सी/201 दिनांक 02.06.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज जयपुर की आदेश क्रमांक प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.03.2008 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 20.12.2021 को प्रातः 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों का विवरण संलग्न है।

बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया :-

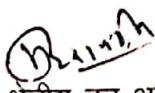
1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट बीकानेर-फलोदी रोड एनएच-11 किमी स्टोन न.0 362-363 (चैनेज 362/497 से 362/532) आरएचएस खसरा नम्बर 445/61 ग्राम दियातरा तहसील कोलायत रकबा 0.1657 हैक्टेयर जिला बीकानेर पर स्थापित करने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

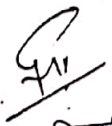
अनुशंषा

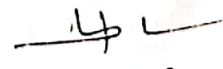
ग्राम पंचायत दियातरा की बैठक दिनांक 20.07.2021 के प्रस्ताव के हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट बीकानेर-फलोदी रोड एनएच-11 किमी स्टोन न.0 362-363 (चैनेज 362/497 से 362/532) आरएचएस खसरा नम्बर 445/61 पर सहमति पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत के पत्रांक/पंचायत/510 दिनांक 29.07.2021 द्वारा जारी किया गया। उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा वनवासी के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट बीकानेर-फलोदी रोड एनएच-11 किमी स्टोन न.0 362-363 (चैनेज 362/497 से 362/532) आरएचएस खसरा नम्बर 445/61 ग्राम दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर में एप्रोच रोड निर्माण हेतु सहमति प्रदान करती है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) एवं 3(2) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पडने वाली उपरोक्त प्रकरण की भूमि पर एप्रोच रोड निर्माण हेतु आवश्यक प्रस्तावित वन भूमि 0.1657 हैक्टेयर (1657 वर्गमीटर) पर निर्माण हेतु सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

अतः उक्त प्रकरण में जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंषा की जाती है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
श्रीकोलायत


विकास अधिकारी
पंचायत समिति, कोलायत


उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

राजस्थान



सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालय ग्राम पंचायत, दियातरा

पंचायत समिति व तहसील कोलायत, जिला : बीकानेर

सरपंच

किशन सिंह

Mob. 9587740404

Mob. 9982521795

आव/दिना/2021/145

दिनांक 20/07/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि पत्र क्रमांक राजस्व/2021/416 के सम्बन्ध में वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटैल आउटलेट बीकानेर-फलौदी रोड, NH-11 किलोमीटर स्टो नम्बर 362-63 आरएचएस खसरा नम्बर 445/61 ग्राम दियातरा तह.कोलायत जिला.बीकानेर रकबा 0.1657 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा ग्राम पंचायत पेट्रोल पम्प मालिक को अधिकधिक पेड-पौडो लगाने की शर्तें देती है।

किशन सिंह
(किशन सिंह)

सरपंच

ग्राम पंचायत, दियातरा

ग्राम पंचायत, दियातरा

ग्राम पंचायत, दियातरा

ग्राम पंचायत, दियातरा

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में यह है प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar

Senior Regional Manager-Retail

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

222122 407244

Counter foil

SBI

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch G.S. Road, Bilgaon

Date ..02/05/2022

Received ₹ ...173377

From

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT) (ii) Cash (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

cheque No.716797

favouring . RAJASTHAN CAMP.A

. Union Bank

A/c No. .150856119192971

IFSC Code .UBIN0903710

Beneficiary Bank & Branch

. Union Bank

Amount ₹ ...173377

Bank's Charges ₹ ...1436

Total ₹ ...173391.36

(Rupees

..... Only)

For office Use,

UTR No. SBIN

222122407244

Branch Manager

खिदु संख्या - 11 व 12

53222122 407244

Counter foil

SBI

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch G.S. Road, Bilgaon

Date ..02/05/2022

Received ₹ ...173377

From

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT) (ii) Cash (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

cheque No.716797

favouring . RAJASTHAN CAMP.A

. Union Bank

A/c No. .150856119192971

IFSC Code .UBIN0903710

Beneficiary Bank & Branch

. Union Bank

Amount ₹ ...173377

Bank's Charges ₹ ...1436

Total ₹ ...173391.36

(Rupees

..... Only)

For office Use,

UTR No. SBIN

222122407244

Branch Manager

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-04-2022

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM COOPERATION LIMITED
Application No.	61119192971
MoEF/SG File No.	1(89)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	Jodhpur Retail RO, Diesel Shed Road Jodhpur
Amount(in Rs)	173377/-

Amount in Words :One Lakh Seventy-Three Thousand Three Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508561119192971 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-04-2022

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM COOPERATION LIMITED
Application No.	61119192971
MoEF/SG File No.	1(89)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address:	Jodhpur Retail RO, Diesel Shed Road Jodhpur
Amount(in Rs)	173377/-

Amount in Words :One Lakh Seventy-Three Thousand Three Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508561119192971 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar

Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar

Senior Regional Manager-Retail

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/119192/2021

दिनांक : 10.05.2022

Project Name: - Diversion of 0.1657 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage: 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, at Village - Diyatra, Tehsil - Kolayat, District - Bikaner, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/119192/2021

Applied Area: - 0.1657 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (89) वन / 2021 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar

Senior Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

PUBLICATION FOR SALE OF THE VEHICLE

Available for sale "On As is Where is Basis" CAMPER (Vehicle) MAHINDRA Make 2021 Model, Bearing Registration Number-RJ50GA4105 For details, Contact Sundaram Finance Limited BIKANER Branch Phone No : 9414016793 with in a week.

पुण्यातिथ 23 मार्च 2022 को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जायेगी। इस अवसर पर रामरतन कोचर स्किल नोखा रोड पर कार्यक्रम रखा गया है। स्व. रामरतन कोचर स्मारक समिति के सहमंत्री विजय कुमार कोचर ने बताया कि कार्यक्रम में समिति द्वारा दो दिव्यांगजनों को सद्भावना स्वरूप दो ट्राई साईकिलें, एक व्हील चेर, सात



हुंड मोटिंग में जिन-छत्र-छत्राओं को स्कूल इस, महिलाओं को सिलाई मशीन एवं जिन व्यक्तियों को ट्राई साईकिल व व्हील चेर दी जायेगी। उनके नाम का चयन किया गया। इस अवसर पर 25वाँ स्व. रामरतन कोचर स्मृति साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जावेगा। इस बार का साहित्य पुरस्कार बलवीर सिंह करुण को दिया जायेगा।

राज्य सरकार वन विभाग

भीम

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक :- प.1 (89) वन/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (MoFF)

राजस्थान, जयपुर

विषय :- Diversion of 0.1657 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage : 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, At Village-Diyatra, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/119192/2021)

संदर्भ :- आपका पत्रांक एक 14 (464/40)2021/एफसीए/प्रमुख/2949 दिनांक 22.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Chainage: 362/497-362/532 के खसरा नम्बर 445/61 के प्रांत दिया जा रहा है। तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निष्कास हेतु 0.1657 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोटल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1657 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage : 362/497 - 362/532) LHS in Khasra No. 445/61, At Village-Diyatra, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/119192/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 1 वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. यावक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे। 4. प्रस्तावित क्षेत्र में सीपिंग किये जाने वाले को वृक्ष वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिषद्वत् होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोजन अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरी/रस्ता के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोजन अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्बन मजदूरी/रस्ता को रबॉई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती बनों को हानि न हो। 7. प्रयोजन अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोजन अधिकरण द्वारा रख-रखाव के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निष्कास मार्ग के दोनों ओर रिकत पड़े स्थानों पर दो गाड़ लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें रखरिक्त करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोजन अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. प्रयोजन अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 11. प्रयोजन अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 10.0 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोजन अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFW P (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 12. प्रयोजन अधिकरण द्वारा मानवीय उत्पन्न न्यायलय के रिट मिटेशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या S-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFW P द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/ट्रेडिआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मददार विवरण हो) प्रेषित की जाये, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 13. प्रयोजन अधिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बदलाव होता है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोजन अधिकरण द्वारा निःशुल्क जमा की जायेगी। 14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण संचालक, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एनपी.वी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय पीन दिव्यल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को एड्जस्ट एजेंसी हिन्दी अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराई एवं जारी स्वीकृति की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय, (बी. प्रवीण)
शासन सचिव

भगवान शिव की काशी घुमाने के लिए 22 मार्च को खाना होगी ट्रेन

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी दिव्य काशी यात्रा दूर चला रही है। इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित देखो अपना देश डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से 22 मार्च को खाना की जाएगी। यात्रा की बुकिंग के लिए 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक यात्री को कोविड टीके का दोनों खोज लगा होना अनिवार्य होगा। भगवान शिव की काशी घूमने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छे खबर है। 'देखो अपना देश' डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन द्वारा पहली यात्रा 22 मार्च को दिल्ली से खाना होने वाली है।

श्री विमल जैन

आपका आज का दिन

मेघ-	व्यापार में विस्तार, अधूरे या नवकाय प्रगति
वृषभ-	पारिवारिक कष्ट में कमी, आपसी सम्बन्धों में
मिथुन-	आशाएं फलीभूत, सामाजिक राजनीतिक मानसिक उलझनों में कमी, धन संशय की श्र
कर्क-	समय शुभ, आर्थिक व्यावसायिक पक्ष में सम्पत्ति विषयक मसला हल, पुराने विवाद
सिंह-	दिनचर्या अव्यवस्थित, शंका-कुशका में राजकीय उलझनें, जल्दबाजी में लिया गया
कन्या-	समय संतोषजनक, मनोकामनापूर्ण, जनक मिलने से खुशी, आकस्मिक लाभ, विस्तार हे
तुला-	उन्नति का सुअवसर, किसी के माध्यम से न
वृश्चिक-	शुभारम्भ, ज्ञान-विज्ञान में रूचि, सद्बिचारों का कठिनाइयों का निराकरण, धर्म-अध्यात्म के दिशा में कार्यक्रम, बुद्धि-चातुर्य से संकल्प मि
धनु-	परिस्थितियां भाग्य के विपरीत, विवादाम्ब गलतफहमी के शिकार, इच्छित पद की प्रा
मकर-	साहसिक प्रयास प्रगति पर, व्यावसायिक अत्यधिक प्रगति, मौजमस्ती के निर्मित व्यय
कुम्भ-	कठिनाइयों का निवारण, इच्छित पद की प्राप्ति मनोविनोद के अवसर मूलभ, अध्यात्म के प्र
मीन-	किसी योजना को पूर्ण हेतु प्रयत्नशील, धनसम्पत्ति निर्णय हितकर, संत-समागम, कर्म की अदाय
	भाग्योदय का मार्ग अवलम्ब, कार्यों में अयत्न आरोग्य सुख में कमी, शत्रु सक्रिय, व्यय की

एस. 2/1-76 ए. द्वितीय तल, वरदान भवन, भोजपूरी, वाराणसी-221002 * मो.

आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं

आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका जन्मतिथि 12 मार्च है। अंक जन्मतिथि का अधिपति ग्रह वृहस्पति है। इस माह का अधिपति ग्रह वृहस्पति है। वृहस्पति ग्रह रहेगा। पढ़ने-लिखने में अधिक मन लगेगा। बुद्धिवादी होने के कारण प्रेम व विवाह के सम्बन्ध लेंगे। विनय व दयालु स्वभाव के कारण किसी भी क्षेत्र में किसी से मनमुटाव या अनबन नहीं रहेगा रूप से विद्यमान रहेगा। आध्यात्मिक कृत्यों की ओर आपकी अभिरुचि रहेगी। विनोद भी होंगे विवाद से दूर रहना पसन्द करेंगे। कोई भी व्यक्ति आप पर सहज ही विरवास कर लेगा। स्वयं करेंगे। यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। स्वयं की प्रगति देखकर अह ही बात में अपरिचितों को अपने वश में कर लेंगे। निम्न स्तर का कार्य नहीं करेंगे। जीवन में देवकथ में नियमित रूप से धी का दीपक अग्रश्रय जलावें। अपने दैनिक जीवन में क्रौम रीति व वृहस्पतिवार को भाँगा हुआ चने का दाल, गुड़, केला गाय को खिलावें। अपने हित के लिए अन्य सुख-समृद्धि के लिए रत्न या उपरत तथा यन्त्र विधि-विधानपूर्वक धारण करें।

आपके लिए अनुकूल :-

मास	: मार्च, जुलाई एवं अक्टूबर
वर्ष	: 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66
रंग	: सफेद एवं क्रीम
जन्मरत	: पोरबारा उपरत : गोल्डेन टोपाय
जड़ी	: वेल की जड़ दिशा : ईशान

अंक : 1, 7

प्रत्येक वर्ष का बेहतर समय—19 फरवरी से 20 मार्च, 21 नवम्बर से 20 दिसम्बर

हस्तरेखा विशेषज्ञ, रत्न-पराजर्णटाता, फलित व अंक ज्योतिषी एवं वास्तुविद्

विमल जैन

एस. 2/1-76 ए. द्वितीय तल, वरदान भवन, भोजपूरी मार्ग, भोजपूरी, वाराणसी

Scanned with CamScanner



राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक : प.1 (89) वन/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (MoFF)

राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक : 14.12.2021

विषय :- Diversion of 0.1657 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage : 362/497 - 362/532) LHS in Khadra No. 445/61, At Village-Diyatra, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Rajasthan. (FP/RJROAD/119192/2021)

संदर्भ :- आपका पत्रांक एक 14 (464/40) 2021/एफसीए/प्रमुख/2949 दिनांक 22.10.2021 मूख्य,

उत्प्रेक्षित विचारचर्चा संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत घाट-2 में Chainage: 362/497-362/532 के खसरा नम्बर 445/61 के ग्राम दियात्रा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं विकास हेतु 0.1657 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति मांगी गई है। नेहेत अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत घाट-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परित्यक् में Diversion of 0.1657 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Phalodi Road NH-11 between KM Stone No. 362-363 (Chainage : 362/497 - 362/532) LHS in Khadra No. 445/61, At Village-Diyatra, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Rajasthan. (FP/RJROAD/119192/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 1 वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित वृक्ष जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रस्ते/गैस/केरोसिन तेल आगुर्दी की जायेगी, ताकि निकटवर्ती दलों को हानि न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि सौंप निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के खर्च पर पेट्रोल पम्प में प्रवेशार्थ विकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Sagbarbar Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें सुरक्षित करने में किया जायेगा। यह दृष्टांत्यक हॉलियुडि के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एक आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा। उदाहरण के लिए, कानून तथा विरागा निर्देशों का पालन करेगा। 10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य के विकास पर लागू सभी नियम, कानून तथा विरागा निर्देशों का पालन करेगा। 11. प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर वन विभाग द्वारा गृहण 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का प्रस्तावित एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दलों को सहायित करके हट्ट रॉफ डबल (YSMFVP) (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Permit) द्वारा सर्टिफिकेट ई-आवेदन द्वारा प्रमा की जायेगी। 12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विरोधन (सिडिल) 2021/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2005 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित रीति प्रमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधि प्राप्ति प्रयोक्ता अभिकरण निधि प्रकथन तथा योजना प्रतिकरण के सदस्य निकाय के वेबपोर्टल (YSMFVP) द्वारा सूचित ई चालान द्वारा प्रमा करणी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति, प्रमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआई आर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें प्रमा की गई राशि का भवितव्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उदाहरणतः विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आधार का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सक्षम स्तर से यह एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार प्रमा की जायेगी। 14. प्रमा करकेगा। 15. भारत सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोग सहायक स्वीकृति दिनांक 24.07.2013 से माननीय श्रीन दिव्यनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 का पारित निर्णय की पालना प्रमाण में पुनर्निर्धारित की जावे तथा प्रमाण में जारी स्वीकृति की प्रतिमा स्थानीय निकाय, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक सप्ताह पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवाए एवं जारी स्वीकृति की प्रतिमा स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करतान सुनिश्चित करे।

भवदीय, (बी. प्रवीण)
शासन सचिव

EMPLOY

SALES & M

REQU

MERCHA

4-5 Years E

For a Han

Indus

Conta

772807

JODH

Rajast

CHANGE OF

CHANGE OF Name

Nb Sud Harpal Singh
presently residing at
Post- Chhatra "en- v
Kangri 1, State-Himach
Pin- 170022 have change
Name from Summar
Summer Part Singh vide
dated 28 Feb 2022 before
Court Jodhpur.

IN MY

my army record number
15814663K my wife's name
corded as Charu Lata Singh
is wrong while in other
my wife's name is Charu
Havildar Anil Sharma son of
Ramavadar Sharma, Kolpa

I SUNEETA

Singh D/o No
2998768L Hav Ambu Singh
-House No. 309, Ranaji Ka
Village- Belwa, District- J
Tehsil- Shergarh, District- J
(Rajasthan) Pin 342023 have
declare that my name Suneeta
entered wrongly in my Father's
Service record. But my correct
is Sunita Kanwar for all fu
purposes.

I SHAKTI

Singh S/o No.2998768L

Hav Ambu Singh Inda R/o- H